न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/586

1. शब्बीर पुत्र अहमद जान, निवासी गॉव रानीका, थाना नगीना, जिला नूह, हरियाणा।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिय जिला कलक्टर, जयपुर

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री सुनील शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 09.11.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेघ और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा –7(3) के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र वास्ते वाहन संख्या एचआर 55 एएफ4638 इंजन नम्बर ई624सीडीजेएल 252172 सुपुर्दगी पर लिये जाने बाबत पेश किया गया था तथा प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अर्ज किया गया था कि पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 48/2022 पुलिस थाना विराटनगर जयपुर दिनांक 03.03.2022 में जब्त उक्त वाहन दिनांक 23.02.2022 को चोरी हो गया था जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 60/2022 पुलिस थाना नगीना जिला नूँह हरियाणा में दिनांक 24.02.2022 को दर्ज करवा दी गई थी, तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए दिनांक 22.09.2022 को 50,000/–अक्षरे पचास हजार रूपये जुर्माना राशि पशु क्रुरता निवारण समिति जयपुर पूर्व, देना बैंक एम.आई. रोड जयपुर खाता संख्या 014210008024 वर्तमान बैंक ऑफ बडौदा में जमा कराने पर वाहन को छोड़े जाने के आदेश प्रदान किये गये है जो विधि संगत नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र पर बिना ध्यान दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है क्योंकि अपीलार्थी का जब्त वाहन चोरी हो चुका था और उसके अपराध में उपयोग भी वाहन के चोरी की स्थिति में रहने के दौरान ही किया गया इसलिये उस पर धारा 6 (2) राजस्थान गौवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम 1995 को अपीलार्थी के विरूद्ध अधिरोपित करना विधि संगत प्रतीत नही है एवं न्याय के सिद्धान्तों को

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

विफल भी कर देते है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2022 को 50,000/–अक्षरे पचास हजार रूपये की अदायगी की हद तक अपास्त कर विधि संगत आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त वाहन संख्या एचआर55 एएफ 4638 के चोरी होने के सम्बन्ध में दिनांक 23.02.2022 को पुलिस थाना नगीना जिला नूँह में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 60/2022 दर्ज करवाई गई है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त वाहन अपराध होने के समय चोरी की स्थिति में रहा है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाहन चोरी के सम्बन्ध में पुलिस थाना नूँह में दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश 22.09.2022 पारित करने से पूर्व उक्त वाहन के स्वामी या वाहन चालक के घटित अपराधिक कृत्य में संलिप्तता के सम्बन्ध विस्तृत जॉच नही की गई और केवल घटित अपराध में केवल वाहन की संलिप्तता के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2022 पारित किया गया है, जो उचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् प्रकरण में घटित अपराध में वाहन स्वामी या वाहन चालक की संलिप्तता के सम्बन्ध में विस्तृत जॉच कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय परित करें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

9/11/22

संभागीय आयुक्त,
जय